समाचार.प्रकाषनार्थरू.

नगर निगम द्वारा अब तक 7485 आयुश्मान कार्ड बनाये गये
नगर निगम के आईटी सेल में 8 दिनो में 133 हितग्राही के बनाये आयुश्मान कार्ड
निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 08 अक्टूबर । आयुश्मान भारत श्श्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 से 8 अक्टूबर तक 133 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत श्श्निरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास षाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 1 से 8 अक्टूबर तक 133 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7485 आयुमान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

8 अक्टूबर को 1 मिट्रिक टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा
नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 08 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान

निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 08 अक्टूबर षुक्रवार को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
08 अक्टूबर षुक्रवार को डम्पर से 46800ए टेªक्टर से 4805ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 26690ए गीला कचरा 21665ए मैजिक से 1395 किलो इस तरह कुल 101355 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

कचरा संग्रहण वाहन के 6 हैल्पर सेवा से बर्खास्त
रतलाम 08 अक्टूबर । नगर निगम के कचरा संग्रहण के 6 हैल्परों द्वारा 7 अक्टूबर गुरूवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार संबंधित हैल्परों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
7 अक्टूबर गुरूवार को वार्ड क्रमांक 1 के राहूल.दिलीपए वार्ड क्रमांक 17 के गौरव. विजयए वार्ड क्रमांक 31 के सुनीलए वार्ड क्रमांक 34 के नितीन.किषोरए वार्ड क्रमांक 38 के अंकित खत्री व वार्ड क्रमांक 42 के संदीप.सुरेष कचरा संग्रहण वाहन हैल्पर द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संबंधित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का 38 दिवस का वेतन काटा
निलंबित व बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी
रतलाम 8 अक्टूबर । खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु गठित दल द्वारा विगत सितम्बर माह से नियमित रूप से स्पॉट फाईन नहीं करनेए षहर में कहीं भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने व प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का 38 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
स्पॉट फाईन दल द्वारा सितम्बर माह में नियमित व लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने व अक्टूबर माह में दो दिवस 4 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों व 8 अक्टूबर

को 13 कुल 27 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन करने व दिये गये लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन दल के विराट मेहराए पवन झांझोटए मनोज झांझोटए राकेष ललावत व आकाष षिन्दे द्वारा विगत सितम्बर माह से 5 अक्टूबर तक नियमित व लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने पर 1 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक ;कुल 38 दिवसद्ध प्रतिदिन वेतन काटा जाकर निलबंन व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 08 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु राषि रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 08 अक्टूबर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी
रतलाम 08 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक.एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 08 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की

जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध08ण10ण2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण